न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/158 दर्ज तिथिः—02.05.2025

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
जवाराराम पुत्र शंभुराम वगैरह	बनाम	मुकनाराम पुत्र तुतराराम वगैरह
जरिये अधिवक्ता श्री डालुराम चौधरी		एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—251—ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955
निर्णय तिथिः—24.07.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 178/4.8055 है0 मौजा गोदारों की बेरी पटवार मण्डल आसुओं की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में से कट्टान रास्ते तक पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर कोई चलित रास्ता विद्यमान नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा कट्टान रास्ते तक पहुंच हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 179 एवं 178/1 मौजा गोदारों की बेरी में से आवागमन किया जा रहा है। परंतु खसरा संख्या 179 एवं 178/1 मौजा गोदारों की बेरी में रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या 179 एवं 178/1 मौजा गोदारों की बेरी में से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकाररान की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक प्रार्थना—पत्र अनुतोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना—पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:49 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 द्वारा प्रेषित की गई। प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस का श्रवण किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. *- (1) Where -*

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) ***<u>a tenant or a group of tenants</u>*** *intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way,* ***<u>through the holding of another khatedar</u>*** *to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*

(i) <u>the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding</u>; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that <u>absence of alternative means of access proved</u> may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, <u>through the shortest or nearest route,</u> or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted <u>or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant</u> ***<u>preferably</u>*** *<u>having the same price and adjoining to his land.</u>*

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshay Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:49 IST
Reason: SelfAttested

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the*

parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

***70. Determination of compensation.** - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई काश्तकार या काश्तकारों का कोई समुह अपनी जोत की आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदार की जोत/आराजी में से होकर रिकार्डेड नवीन रास्ता का अंकन, पूर्व से विद्यमान रास्ता की लम्बाई में वृद्धि या चौड़ाई का विस्तार करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

   1. *प्रार्थी की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
   2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
   3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

7. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु खसरा संख्या 178/1 रकबा 0.1052 है0 एवं खसरा संख्या 204/179 रकबा 0.0206 है0 भूमि में से आवागमन हेतु सहमति से रास्ता समर्पण किया जा चुका है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जा चुका है। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:49 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु खसरा संख्या 178 / 1 रकबा 0.1052 है0 एवं खसरा संख्या 204 / 179 रकबा 0.0206 है0 में वर्तमान में रिकॉर्डेड रास्ता विद्यमान है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते हेतु समर्पण के द्वारा रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने के आधार पर हस्तगत आवेदन में केवल भूमि उपयोग के आदेश प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या प्रार्थी की आराजी तक पहुंच हेतु खसरा संख्या 178/1 रकबा 0.1052 है0 एवं खसरा संख्या 204/179 रकबा 0.0206 है0 मौजा आसुओं की ढाणी तहसील गुड़ामालानी की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.07.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:28:49 IST
Reason: SelfAttested